

गुरुजी की Pătali

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- CGPSC Mains
 - Paper No. 05 (Part-01)

भारत में मुद्रा छापने का निर्णय कौन करता है?


वर्ष 1935 से पहले, मुद्रा छपाई की जिम्मेदारी तत्कालीन भारत सरकार के पास थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुम्बई में है। भारतीय रिज़र्व बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (1934) के आधार पर मुद्रा प्रबंधन की भूमिका प्रदान की गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा-22, रिज़र्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार देती है। भारत में एक रूपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों की छपाई का कार्य रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ही होता है किन्तु 1 रूपये के नोट व सभी सिक्कों को ढालने की जिम्मेदारी भारत के वित्त मंत्रालय की है ध्यान देने योग्य बात यह है कि वित्त मंत्रालय 1 रूपये के नोट व सिक्कों को अर्थव्यवस्था में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ही लाता है। रिज़र्व बैंक के पास 10,000 रूपये तक के नोट छापने का अधिकार है किन्तू रिज़र्व बैंक 10,000 रूपये से बड़े नोट छापना चाहे तो उसे भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी साथ ही भारत सरकार को इसकी अनुमति देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

भारत में नोट छापने का अंतिम निर्णय भारत सरकार के पास है किन्तु भारत सरकार भी इस मामले में रिज़र्व बैंक की सलाह लेती है।

भारत में 4 स्थानों में मुद्रा छपाई होती है।

- नासिक (महाराष्ट्र)
- 2. देवास (मध्यप्रदेश)
- 3. मैसूर (कर्नाटक)
- 4. सल्बोनी (पश्चिम बंगाल)

MYSURU नोट:- होशंगाबाद स्थित "Security Paper Mill" सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति करती है।



- 1. मुम्बई (1829)
- 2. कोलकाता (1829)
- हैदराबाद (1903-निजाम)
- नोएडा (1986-भारत सरकार)



MINT	MINT MARK	IDENTIFICATION
MUMBAI	•	DIAMOND
KOLKATTA		NO MARK
HYDERABAD	*	STAR
NOIDA	•	DOT

नोट:- 3 मिंट (टकसाल) अपने ढाले गए सिक्कों पर एक निशान बनाते हैं जिसकी मदद से हम यह जान सकते हैं कि कौन सा सिक्का कहां ढला है।

Contact Us: 7089040001, 9039361688, 8770718705

SALBONI







DEWAS

NASHIK



मुख्या की Patali

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 05 (Part-1)

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना

एक केन्द्र प्रायोजित योजना-

"सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना" असंगठित क्षेत्र के लिए संपूर्ण भारत में लागू की गई है जिसका परिव्यय 10000 करोड़ रूपये है। भारत सरकार और राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा।

उद्देश्य:-

- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए वित्त की उपलब्धता में वृद्धि।
- लक्षित उद्यमों के राजस्व में वृद्धि।
- खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को बढ़ाना।
- समर्थन प्रणालियों की क्षमता को मजबूत करना।
- महिला उद्यमियों और आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान।
- जनजाति बहुल जिलों में लघु वनोपजों पर विशेष ध्यान।

कार्यान्वयन अवधि:-

योजना 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि में लागू की जाएगी। 200000 सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की सहायता देने का लक्ष्य है।

-: नोट :-

- यह योजना संपूर्ण भारत के लिए है।
- 🔷 एकल सूक्ष्म इकाईयों को सहायता:
 - सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाएगी। धान परियोजना लागत का 35 प्रतिशत, 10 लाख रूपये की उच्चतम सीमा के साथ।
 - लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा और शेष ऋण के रूप में होगा।
 - डीपीआर और तकनीकी उन्नयन के लिए ऑन-साइट कौशल प्रशिक्षण।
- एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियोंको सहायता:
 - एसएचजी को प्रारंभिक पूंजी (4 लाख रूपये प्रति एसएचजी) सदस्यों को कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों ऋण सहायता एवं छोटी जरूरतों के लिए।
 - बैकवर्ड/फारवर्ड लिंकेज के लिए, सामान्य बुनियादी ढ़ांचा, पैकेजिंग, विपणन और ब्रांडिंग के लिए अनुदान।
 - कौशल प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग समर्थन।
 - क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी।

Contact Us: 7089040001, 9039361688, 8770718705





